न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प मुख्यालय–सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

नम्बर व अहकाम हुक्म की ... जारी

राजस्व वाद सं. 14/2010
दायरा तिथि 08.04.2010
निर्णय तिथि 25.06.2016

वादीः– **बनामः** **प्रतिवादीगणः–**

अंशीदेवी पुत्री लच्छाराम पन्ति मदनलाल
जाति माली निवासी सुमेरपुर
तहसील सुमेरपुर

1–अमृतलाल पुत्र लच्छाजी
2–श्रीमती उमीदेवी पत्नि स्व. लच्छीराम
3–बसंत कुमार पुत्र लच्छाजी
4–श्रीमती भंवरी देवी पत्नी चंपालाल
5–श्रीमती कन्यादेवी पत्नी मोहनलाल
6–श्रीमती सुखीदेवी पत्नी चन्दुलाल
निवासी–खन्दरा तह. शिवगंज
7–पुखाराम पुत्र समरथाजी, नि. सुमेरपुर
8–फुलाराम पुत्र समरथाजी
9–बाबुलाल पुत्र सांकलाराम
10–प्रकाशचन्द्र पुत्र सांकलाराम
11–ऐजीदेवी पुत्र सांकलाराम
12–दाखुदेवी पुत्री सांकलाराम
13–बादामीदेवी पुत्री सांकलाराम
14–सुकीदेवी पुत्री सांकलाराम
तमामजातिगण– माली,
निवासीगण–सुमेरपुर, तह. सुमेरपुर
जिला–पाली
15–राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार (भूमिधारी)
सुमेरपुर जिला पाली

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 RTAct,1955

–: निर्णय :–

दिनांक 25.06.2016

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प मुख्यालय सुमेरपुर में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले की वाद विषयक–स्थिति अनुसार सरहद मौजा सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर में स्थित वादगस्त कृषि भूमि खसरा नं. 322, 323 रकबा क्रमशः 0.1600 , 1.0200 हैक्टर किस्म क्रमशः गै.मु. चाही प्रथम कुल रकबा 1.1800 हैक्टर वार्षिक लगान रूपये 41.82 के बारे में वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करवाये जाने व बंट–हिस्सा मुजब खातेदार घोषित कर राजस्व रेकर्ड में अलग–2 खातों का अमल दरामद करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा वादपत्र के साथ दस्तावेज क्रमशः जमाबंदी संवत् 2064–67 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियां पेश की है।

(2) कि कथित वाद पत्रावली पंजीबद्ध की गई। यह पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी एवं जवाबदावा हेतु विचाराधीन रहते दिनांक 25.06.2016 को आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प मुख्यालय सुमेरपुर में प्रस्तुत होने पर लोक अदालत की भावना से पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, नक्शे एवं पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत नवीनतम मौका फर्द/मौका जांच रिपोर्ट का अवलोकन व परीक्षण किया। कथित मामले मे पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य–दस्तावेजों के अवलोकन व परीक्षण करने के बाद वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि नही होती है।

...ण्ड अधिकारी
...र. जिला–पाली (राज.)

लगातार – पेज 2 ....

Scanned by CamScanner

(2) कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 323 रकबा 1.02 हेक्टर व खसरा नं. 322 रकबा 0.16 हेक्टर वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। जिसे वादी के पिता व प्रतिवादी ने संयुक्त रूप से भू–खण्ड काटकर कृषि भू–खण्डों का बेचान किया था। कृषि भू–खण्डों को खरीदकर्ताओं ने आबादी में रूपान्तरित करवा दिया है, मौके पर वर्तमान में खसरा नं. 323 रकबा 1.02 हेक्टर में महावीर कॉलोनी के नाम से प्लान तैयार कर वर्ष 1996 से बेचान कर दिया है। इस प्रकार खसरा नं. 323 रकबा 1.02 हेक्टर में महावीर कॉलोनी की सम्पूर्ण भूमि आबादी/आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित हो चुकी है। वर्तमान में नगर पालिका सुमेरपुर द्वारा सी.सी. रोड , रोड लाईट, पानी कनेक्शन मूलभूत सुविधाऐं है। पूरे खसरे मे मकानात बने हुए है।

(3) कि खसरा नं. 322 रकबा 0.16 हेक्टर वादी व प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। उक्त भूमि गै.मु सडा होने से राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बंटवाडा नही किया जा सकता। इस प्रकार ग्राम सुमेरपुर के खसरा नं. 323 रकबा 1.02 हेक्टर सम्पूर्ण कृषि भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित हो जाने से वादग्रस्त आराजी वर्तमान में कृषि भूमि नही रही है , जिससें धारा 53 आर.टी.ए. के अन्तर्गत बंटवाडा दावा परिपोषणीय नही होने से काबिल खारिज है। साथ ही खसरा नं. 322 रकबा 0.16 हेक्टर गै.मु. सडा दर्ज होने से धारा 53 आर.टी.ए. में बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित नही होता है।

अतः वादग्रस्त आराजी मौजा सुमेरपुर के खसरा नं. 322, 323 रकबा क्रमशः 0.1600 , 1.0200 हैक्टर किस्म क्रमशः गै.मु. चाही प्रथम कुल रकबा 1.1800 हैक्टर वर्तमान में कृषि भूमि नही होकर आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित की हुई भूमि होने से धारा 53 आर.टी.ए. के तहत प्रस्तुत वाद वादी पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे। माफिक निर्णय, डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 25.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुख्यालय सुमेरपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर जिला–पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली (राज.)

Scanned by CamScanner